न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकुट सिंह R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 193/2022

मनीष कुमार रावत पुत्र सीताराम समस्त जाति रावत (महाजन) निवासी नेशनल किराणा स्टोर फेक्ट्री एरिया रोड थाने के पास झोटवाडा जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामअवतार पुत्र स्व0सीताराम
2. महेश कुमार पुत्र स्व0सीताराम
3. सांवरमल पुत्र स्व0सीताराम
4. गिरधारीलाल पुत्र स्व0सीताराम
5. बृजकिशोर पुत्र स्व0सीताराम
6. कमला पुत्री स्व0सीताराम पत्नि देवीसहाय नि0 कालाडेरा तह0 चौमू
7. मीनादेवी पुत्री स्व0सीताराम पत्नि केदारमल नि0 श्रीमाधोपुर जि0 सीकर।
8. गुड्डी देवी पत्नि स्व0 विष्णुकुमार पुत्र स्व0सीताराम नि0करणसर हाल कालाडेरा जिला जयपुर।
9. अमित पुत्र स्व0 विष्णुकुमार पुत्र स्व0सीताराम जाति ब्राह्मण नि0करणसर हाल कालाडेरा जिला जयपुर।
10. सुमित पुत्र स्व0 विष्णुकुमार
11. सुभा शर्मा पुत्री स्व0 विष्णुकुमार
12. पूजा पुत्री स्व0 विष्णुकुमार
    समस्त नाबा0जरिये संरक्षक माता गुड्डी देवी पत्नि स्व0 विष्णुकुमार जाति ब्राह्मण नि0 कालाडेरा जिला जयपुर।
13. चंचल पुत्री स्व0 आनन्द कुमार जाति ब्राहमण नाबा0जरिये वलि माता हेमलता नि0 करणसर।
14. प्रियंका पुत्री स्व0 आनन्द कुमार जाति ब्राहमण नाबा0जरिये वलि माता हेमलता नि0 करणसर।
15. जगन्नाथ पुत्र भूराराम जाति कुमावत नि0 करणसर तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
16. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. श्री लोकेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वादी
2. श्री शिवराज सिंह राठौड, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 12 व 15

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

वाद बाबत् विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 10.01.2025

वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 232/1 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 233 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा वाकै ग्राम करणसर तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादी का 125/216 हिस्सा, प्रतिवादी सं01ल012 का 1/4 हिस्सा जो वर्तमान मे राजस्व रिकोर्ड मे सीताराम पुत्र बद्रीनारायण के नाम दर्ज है एवं सीताराम का स्वर्गवास हो चुका है प्रतिवादी सं01ल012 उसके विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी सं013 व14 का 1/216 वां हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं015 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्सेनुसार विवादित आराजी पर काबिज काश्ज है तथा आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

उपरोक्त आराजीयात अविभाजित है जिसका किसी प्रकार से कोई विभाजन नही हो रखा है। जिसके कारण मनचाही पैदावार लेने व भूमि का उपयोग व उपभोग कर उसको उन्नत व विकसित करने मे भारी परेशानी हो रही है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार हिस्से अनुसार भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण हर बार कोई बहाने बाजी करते हुये विभाजन की बात को टालते आये है। आजकल प्रतिवादी सं01लगा015 की नियत मे फितूर आ गया है तथा वे मनचाही अच्छी जमीन पर कब्जा करके वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर भूमि का बेखन करने पर आमादा है इसी आशय से दिनोंक 23/12/2013 को प्रतिवादीगण एक राय होकर अजनबी व्यक्तियो को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आये और मनचाही जगह से भूमि का बेचान करने का सौदा करने लगे जब वादी ने उनको ऐसा करने से मना किया और विधिक रूप से विभाजन को कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि वे किसी भी प्रकार से कोई विभाजन नहीं करवायेगे और मनचाही जगह से भूमि का बेचान करके वादी को उसके हिस्से से बेदखल कर देंगे। जिससे वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। दिनांक 09.12.2017 को वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से मुताबिक बरूवें राजीनामा प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादीत आराजी ख0न0 232/1 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 233 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा वाकै ग्राम करणसर तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादी का 125/216 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1ल012 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं013 व14 का 1/216 वां हिस्सा है

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तथा प्रतिवादी सं015 का 1/6 हिस्सा है तथा राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार उक्त भूमि दर्ज है तथा अपने अपने हिस्सेनुसार पारस्परिक सहमति से मौके पर पक्षकारान काबिज है, काश्त करते है व लगान अदा करते है। मौके के कब्जे अनुसार पक्षकारान की भूमि का विभाजन किये जाने में पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है के नक्शे कुरेजात 2 प्रतियों में मंगवाये जाने के आदेश पारित किये गये तथा वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.12.2017 की पालना में तत्कालीन तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के पत्रांक एलआर/2019/2525 दिनांक 03.06.2019 द्वारा नक्शे कुरेजात प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नक्शे कुरेजात दिनांक 03.06.2019 पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी। दिनांक 23.02.2021 को उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तत्कालीन तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को पुनः नक्शे कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में वर्तमान तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 19.10.2022 को पुनः नक्शे कुरेजात प्रस्तुत किये गय। तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 19.10.2022 को प्रस्तुत नक्शे कुरेजात पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर दिनांक 14.06.2024 को आपत्ति नक्शे कुरेजात स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोबनेर को पुनः नक्शे कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक एलआर/24/4472 दिनांक 31.12.2024 को पुनः नक्शे कुरेजात प्रस्तुत किये गये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान कुरेजात सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा वादी का वाद दिनांक 31.12.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 31.12.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 31.12.2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम करणसर

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	मनीश कुमार रावत पुत्र सीताराम हि.1/2 जाति महाजन व गिरधारीलाल, बृजकिशोर, महेशकुमार, सांवरमल, रामावतार, पि0 सीताराम हि. 5/16 कमला देवी, सीतादेवी, पि. सीताराम हि. 1/8 अमित कुमार, सुमित कुमार, पि0 विष्णुकुमार हि. 1/40 गुड्डी देवी पत्नि विष्णुकुमार हि. 1/80 पूजा, शुभा, पिता विष्णुकुमार हि. 1/40 समस्त जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार।	232/1/A	0.0360	बारानी 1	0.02
	योग	01	0.0360	बारानी 1	0.02

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

2.	मनीष कुमार रावत पुत्र सीताराम जाति महाजन नि० नेशनल किराणा स्टोर फेक्ट्री एरिया रोड थाने के पास झोटवाड़ा जयपुर खातेदार।	232/1/B	1.2992	बारानी 1	4.20
	योग	01	1.2992	बारानी 1	4.20
3.	चंचल, प्रियंका पिता आनन्दकुमार हिस्सा बराबर जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार।	232/1/C	0.0105	बारानी 1	0.03
	योग	01	0.0105	बारानी 1	0.03
4.	गिरधारीलाल, बृजकिशोर, महेशकुमार, रामावतार, सांवरमल पिता सीताराम हि. 5/8 कमला देवी, मीना देवी, पिता सीताराम हि. 2/8 अमित कुमार, सुमित कुमार, पिता विष्णुकुमार हि. 1/20 गुड्डी देवी पत्नि विष्णुकुमार हि. 1/40 पुजा, सुमा, पिता विष्णुकुमार हि. 1/20 समस्त जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार।	232/1/D 233/A	0.4519 0.0991	बारानी 1 बारानी 3	1.80 0.12
	योग	02	0.5510	–	1.92
5.	जगनाथ प्रसाद पुत्र भूराराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार	232/1/E 233/B	0.3394 0.04	बारानी 1 बारानी 3	1.13 0.05
	योग	02	0.3794	–	1.18

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 31.12.2024 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 31.12.2024 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

10/1/2025

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मुकुट सिंह RAS
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर